

मुख्य अभियंता दक्षिण का कार्यालय  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक- 18/विधि- 27/2020

2633 333

पटना, दिनांक- 25/11/2020

12/12/2020

प्रश्नक

मुख्य अभियंता दक्षिण  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

अधीक्षक अभियंता  
पथ निर्माण विभाग,  
मगध पथ अंचल, गया।

विषय

पथ प्रमंडल, शेरघाटी अन्तर्गत मौजा-जोल्हा बीघा, खाता सं०-28, खेसरा सं०-317 एवं 333, थाना नं०-302 टेकारी, जिला-गया, पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

प्रसंग - आपका पत्रांक -1119 (अनु०) दिनांक-24.09.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पथ प्रमंडल, शेरघाटी अन्तर्गत मौजा-जोल्हा बीघा, खाता सं०-28, खेसरा सं०-317 एवं 333, थाना नं०-302 टेकारी, पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित करने के निमित्त पथ निर्माण विभाग की जमीन को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर उपयोग करने हेतु निम्न शर्तों के साथ 5 वर्षों के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है -

- 1) 5-5 वर्षों के अन्तराल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण हेतु विभागीय सकल्प सं०-1921(S) दिनांक-08.03.2018 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 2) रिटेल आउटलेट की स्थापना मानक तथा अनुमोदित नक्शों के अनुरूप किये जाने की सूचना मुख्यालय को यथाशीघ्र देंगे। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में स्थानीय प्रशासन एवं ऑयल कम्पनी तथा इस विभाग को अवश्य सूचित करेंगे।
- 3) विभागीय पत्रांक-4770(E) दिनांक-24.08.2017 एवं 7661(E) दिनांक-23.12.2015 तथा पत्रांक-6283(S) दिनांक-13.09.19 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने स्तर से भी जाँच कर ली जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता, दक्षिण

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आपका 1324/350/

दिनांक 18/12/2020

प्रतिलिपि, कार्यालय, अभियंता पथ निर्माण विभाग  
पथ प्रमंडल शेरघाटी का सूचनार्थ एवं आवश्यक नक्शे  
हेतु प्रेषित।

अनु०- गम्हरी सी मूल  
प्रति।

अधीक्षक अभियंता  
पथ निर्माण विभाग, मगध पथ अंचल, गया।  
दिनांक 18/12/2020